पत्रांक–2ब0/मु०मं०–08–04/2015 157 /न०वि०एवंआ०वि०

* स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक एवं ई–मेल

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष,
जिला शहरी विकास अभिकरण, दरभंगा।

पटना, दिनांक– 26/3/18

विषयः– दरभंगा जिला में मुख्यमंत्री शहरी विकास योजनान्तर्गत जिला स्तरीय संचालन समिति द्वारा नागरिक सुविधा मद की स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु नागरिक सुविधा मद से ₹171.89029 लाख (एक करोड़ एकहत्तर लाख नवासी हजार उनतीस रू०) मात्र राशि की आवंटन की स्वीकृति।

आदेश :– स्वीकृत

विभागीय संकल्प संख्या– 2375, दिनांक– 12.05.08 द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 में मुख्यमंत्री नगर विकास योजना प्रारम्भ हुई। उक्त योजना के अन्तर्गत पथों एवं नालों तथा नागरिक सुविधाओं यथा पार्क/तालाबों/झीलों/घाटों का जीर्णोद्धार/निर्माण कार्य जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शहरी विकास अभिकरण के माध्यम से कराया जाता था। विभागीय संकल्प सं०– 2157, दिनांक– 05.09.2013 द्वारा इसमें आंशिक संशोधन करते हुए नागरिक सुविधा मद में बस स्टैण्ड का निर्माण एवं जीर्णोद्धार/मलिन बस्ती का विकास (Slum Development)/Vendor Zone) का विकास/विवाह भवन/सामुदायिक भवन/सभागार/सांस्कृतिक भवन का निर्माण एवं जीर्णोद्धार/सार्वजनिक शौचालय/यात्री शेड/प्याउ (Drinking Water Post) /रैन बसेरा का निर्माण एवं जीर्णोद्धार आदि योजनाओं को भी शामिल किया गया है। उक्त संकल्प द्वारा यह निर्णय भी संसूचित किया गया है कि सड़क तथा नाला मद में कुल आवंटित राशि का 65 प्रतिशत तथा नागरिक सुविधा मद में शेष 35 प्रतिशत राशि व्यय की जाएगी। विभागीय संकल्प सं०– 3576, दिनांक– 13.07.2015 द्वारा इस योजना में कतिपय अन्य प्रावधान जोड़े गए हैं।

2. वित्तीय वर्ष 2016–17 से मुख्यमंत्री शहरी नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना प्रारंभ की गयी है। मुख्यमंत्री शहरी नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना के संकल्प ज्ञापांक– 1288, दिनांक– 25.02.2016 की प्रथम कंडिका में निम्न प्रावधान किये गये हैः–

"यह नई योजना प्रारंभ हो रही है, जिसके कारण पूर्व से संचालित मुख्यमंत्री नगर विकास योजना अगले वित्तीय वर्ष में जारी नहीं रहेगी, परंतु मुख्यमंत्री नगर विकास योजनान्तर्गत पूर्व से लंबित योजनाए एवं अवशेष राशि इस नई योजना में समाहित हो जायेगी।"

3. उपरोक्त वर्णित प्रावधान के आलोक में विभागीय पत्रांक– 7086, दिनांक– 06.10.2016 द्वारा मुख्यमंत्री नगर विकास योजनान्तर्गत सड़क एवं नाला निर्माण योजना के संबंध में यह निदेश दिया गया था

कि जिन योजनाओं की निविदा निस्तारित कर कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है, वैसी योजनाओं का कार्यान्वयन कर के जिला शहरी विकास अभिकरण के स्तर से संवेदक को भुगतान कर दिया जाय। इसके पश्चात् नाली एवं सड़क निर्माण से संबंधित जिला स्तर संचालित समिति द्वारा स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उन योजनाओं की राशि, संबंधित नगर निकायों को Book Transfer कर दिया जाय।

4. मुख्यमंत्री नगर विकास योजनान्तर्गत 35 प्रतिशत राशि नागरिक सुविधा मद के लिए कर्णांकित है। चूँकि मुख्यमंत्री शहरी नाली–गली पक्कीरण निश्चय योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री नगर विकास योजना में वर्णित नागरिक सुविधा से संबंधित योजनाओं का प्रावधान नहीं है। उक्त स्थिति में विभागीय पत्रांक– 798, दिनांक– 07.02.2017 द्वारा मुख्यमंत्री नगर विकास योजनान्तर्गत नागरिक सुविधा मद की अवशेष राशि चालान द्वारा कोषागार में जमा करते हुए उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश सभी जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला शहरी विकास अभिकरण को दिया गया।

5. माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक– 05.04.2017 को आयोजित नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के अन्तर्गत जिन योजनाओं के लिए राशि का पूर्ण आवंटन उपलब्ध है एवं विधिवत् स्वीकृति दी जा चुकी है, उनकी सूची तैयार करते हुए वैसे कार्यों को पूर्ण कराया जा सकता है, जिसके लिए योजना समाप्त होने के समय राशि सरकार से पूर्ण आवंटित थी। पूर्व में जिन योजनाओं की स्वीकृति नहीं दी गई है, उन्हें मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के अन्तर्गत नहीं लिया जायेगा।

6. उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक– 4969, दिनांक– 27.07.2017 द्वारा यह निदेश दिया गया कि मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के समाप्त होने के समय नागरिक सुविधा मद में उपलब्ध राशि के समतुल्य राशि तक की विधिवत स्वीकृत योजनाओं का ही कार्यान्वयन प्राथमिकता सूची के अनुरूप कराया जाय तथा जिन जिलों में विभागीय निदेश के आलोक में इस मद की राशि कोषागार मे जमा करा दिया गया है, उन जिलों मे विधिवत् स्वीकृत योजनाओ के कार्यान्वयन हेतु राशि की आवश्यकता होने की स्थिति मे अधियाचना प्राप्त होने पर कोषागार में जमा की गयी राशि के समतुल्य राशि तक विभाग से आवंटित की जायेगी।

7. जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला शहरी विकास अभिकरण, दरभंगा के पत्रांक– 85, दिनांक– 21.02.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि मुख्यमंत्री नगर विकास योजनान्तर्गत कुल ₹628.70375 लाख चालान के माध्यम से कोषागार में जमा करायी गई, जिसमें से ₹292.13523 लाख नागरिक सुविधा मद की राशि है। विभागीय पत्रांक– 4969, दिनांक– 27.07.2017 के निदेश के आलोक में डुडा द्वारा पूर्व से कार्यान्वित नागरिक सुविधा की योजनाओं के पश्चात् जिला स्तरीय संचालन समिति द्वारा नागरिक सुविधा मद में स्वीकृत 8 योजनाओं की प्राथमिकता के अनुसार नाम एवं प्राक्कलित राशि की विवरणी उपलब्ध कराते हुए योजना के कार्यान्वयन हेतु ₹171.89029 लाख आवंटित करने का अनुरोध किया गया।

8. जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला शहरी विकास अभिकरण, दरभंगा के पत्रांक– 85, दिनांक– 21.02.2018 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 में मुख्यमंत्री नगर विकास योजनान्तर्गत नागरिक

सुविधा मद की निम्नलिखित 08 योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विभागीय राज्यादेश सं०– 156..., दिनांक– 26/3/18... के आलोक में ₹171.89029 लाख (एक करोड़ एकहत्तर लाख नवासी हजार उनतीस रू०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि निम्नवत् आवंटित की जाती है :–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	जिला का नाम	योजना का नाम	प्राक्कलित / प्रशासनिक आवंटित की राशि	आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	दरभंगा	वार्ड नं०– 5 मोहल्ला रूहेल्लागंज स्थित सर्वेश्वरनाथ मंदिर पोखरा का सौन्दर्यीकरण।	18.55100	18.55100
2		वार्ड नं०– 12 स्थित हराही पोखर में जलक्रीड़ा केन्द्र सह सामुदायिक भवन निर्माण।	20.33300	20.33300
3		मोहल्ला गाँधी चौक में राणी सती मंदर के समीप बागमती नदी में घाट का निर्माण।	24.72800	24.72800
4		शिशु उद्यान लहेरियासराय में लोईठिग एवं बच्चों के खेल कूद हेतु सामाग्री।	12.40400	12.40400
5		मोहल्ला भगवानदास स्थित लाल पोखर का सौन्दर्यीकरण।	16.58319	16.58319
6		इण्डोर स्टेडियम के बाहरी परिसर में नाला निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण।	23.43800	23.43800
7		मोहल्ला रहमगंज में मतरंजन पोखर का सौन्दर्यीकरण।	7.10500	7.10500
8		पोलो मैदान के सामने उत्तरी भाग में पार्किंग स्थल का निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण।	48.74800	48.74800
		कुल योग	171.89028	171.89028

अर्थात कुल आवंटित राशि ₹171.89029 लाख (एक करोड़ एकहत्तर लाख नवासी हजार उनतीस रू०) मात्र।

9. उक्त आवंटित राशि ₹171.89029 लाख (एक करोड़ एकहत्तर लाख नवासी हजार उनतीस रू०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला शहरी विकास अभिकरण, दरभंगा होंगे**, जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक– 17.04.98 एवं पत्रांक– 428, दिनांक– 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में **A.C. विपत्र पर नही की जाएगी।**

10. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार सहित के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी के बाद T.V. नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया

जाएगा। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496/वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।

11. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपायोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

12. राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

13. आवंटित कुल राशि ₹171.89029 लाख (एक करोड़ एकहत्तर लाख नवासी हजार उनतीस रू०) मात्र की निकासी मांग संख्या–48 मुख्य शीर्ष 2217–शहरी विकास–उप मुख्य शीर्ष 01– राज्य की राजधानी का विकास– लघुशीर्ष– 191–नगर निगम को सहायता– उपशीर्ष 0116–नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें विपत्र कोड **48-2217011910116** विषय शीर्ष 0116.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय व्ययक में उपबंधित राशि से की जाएगी।

14. योजनाओं का कार्यान्वयन विभागीय संकल्प संख्या– 2375, दिनांक–12.05.2008, विभागीय संकल्प सं०– 5158, दिनांक– 31.08.2010, विभागीय संकल्प सं०–2157, दिनांक– 05.09.2013 एवं विभागीय संकल्प सं०– 3576, दिनांक– 13.07.2015 के आलोक में किया जायेगा तथा योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन विभाग/विभागीय एम०आई०एस० सेल को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

15. **सभी योजनाओं का कार्यान्वयन ई0टेण्डरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।**

16. स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजनाओं को मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के मार्गनिर्देशों के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित कराई जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चयनित योजनओं का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजनाओं के तहत कार्यान्वित की जा रही योजनाओं से किसी भी परिस्थिति में न हो।

17. सभी योजनाओं हेतु कार्यस्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित किया जाएगा जिसमें योजना का नाम, राशि तथा अन्य सूचानाएँ अंकित होंगी।

18. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

19. योजना का कार्यान्वयन विभाग के पत्र सं०– 3460, दिनांक– 21.06.2011 के निदेश के आलोक में जिला स्तर पर गठित शहरी अभियंत्रण कोषांग (जिला शहरी विकास अभिकरण) के माध्यम से ही कराया जाएगा।

20. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, दरभंगा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

26.3.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब0/मु०मं०–08–04/2015 157 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 26/3/18

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल/मुख्य अभियंता, बुडा/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, दरभंगा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय एम०आई०एस० सेल, इन्दिरा भवन, बेली रोड, पटना को अनुश्रवण हेतु/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–2, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक, को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.3.18

सरकार के विशेष सचिव।

आनन्द

पत्रांक–2ब0/मु०मं०–08–04/2015 156 /न०वि०एवंआ०वि०

*स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक एवं ई–मेल

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

*द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक–26/3/18

विषयः– **दरभंगा जिला में मुख्यमंत्री शहरी विकास योजनान्तर्गत जिला स्तरीय संचालन समिति द्वारा नागरिक सुविधा मद की स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु नागरिक सुविधा मद से ₹171.89029 लाख (एक करोड़ एकहत्तर लाख नवासी हजार उनतीस रू०) मात्र राशि की स्वीकृति।**

आदेश :– **स्वीकृत**

विभागीय संकल्प संख्या– 2375, दिनांक– 12.05.08 द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 में मुख्यमंत्री नगर विकास योजना प्रारम्भ हुई। उक्त योजना के अन्तर्गत पथों एवं नालों तथा नागरिक सुविधाओं यथा पार्क/तालाबों/झीलों/घाटों का जीर्णोद्धार/निर्माण कार्य जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शहरी विकास अभिकरण के माध्यम से कराया जाता था। विभागीय संकल्प सं०– 2157, दिनांक– 05.09.2013 द्वारा इसमें आंशिक संशोधन करते हुए नागरिक सुविधा मद में बस स्टैण्ड का निर्माण एवं जीर्णोद्धार/मलिन बस्ती का विकास (Slum Development)/Vendor Zone) का विकास/विवाह भवन/सामुदायिक भवन/सभागार/सांस्कृतिक भवन का निर्माण एवं जीर्णोद्धार/सार्वजनिक शौचालय/यात्री शेड/प्याउ (Drinking Water Post) /रैन बसेरा का निर्माण एवं जीर्णोद्धार आदि योजनाओं को भी शामिल किया गया है। उक्त संकल्प द्वारा यह निर्णय भी संसूचित किया गया है कि सड़क तथा नाला मद में कुल आवंटित राशि का 65 प्रतिशत तथा नागरिक सुविधा मद में शेष 35 प्रतिशत राशि व्यय की जाएगी। विभागीय संकल्प सं०– 3576, दिनांक– 13.07.2015 द्वारा इस योजना में कतिपय अन्य प्रावधान जोड़े गए हैं।

2. वित्तीय वर्ष 2016–17 से मुख्यंमत्री शहरी नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना प्रारंभ की गयी है। मुख्यंमत्री शहरी नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना के संकल्प ज्ञापांक– 1288, दिनांक– 25.02.2016 की प्रथम कंडिका में निम्न प्रावधान किये गये है:–

"यह नई योजना प्रारंभ हो रही है, जिसके कारण पूर्व से संचालित मुख्यमंत्री नगर विकास योजना अगले वित्तीय वर्ष में जारी नहीं रहेगी, परंतु मुख्यमंत्री नगर विकास योजनान्तर्गत पूर्व से लंबित योजनाए एवं अवशेष राशि इस नई योजना में समाहित हो जायेगी।"

3. उपरोक्त वर्णित प्रावधान के आलोक में विभागीय पत्रांक– 7086, दिनांक– 06.10.2016 द्वारा मुख्यमंत्री नगर विकास योजनान्तर्गत सड़क एवं नाला निर्माण योजना के संबंध में यह निदेश दिया गया था कि जिन योजनाओं की निविदा निस्तारित कर कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है, वैसी योजनाओं का कार्यान्वयन कर के जिला शहरी विकास अभिकरण के स्तर से संवेदक को भुगतान कर दिया जाय। इसके पश्चात् नाली एवं सड़क निर्माण से संबंधित जिला स्तर संचालित समिति द्वारा स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उन योजनाओं की राशि, संबंधित नगर निकायों को Book Transfer कर दिया जाय।

4. मुख्यमंत्री नगर विकास योजनान्तर्गत 35 प्रतिशत राशि नागरिक सुविधा मद के लिए कर्णांकित है। चूँकि मुख्यमंत्री शहरी नाली–गली पक्कीरण निश्चय योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री नगर विकास योजना में वर्णित नागरिक सुविधा से संबंधित योजनाओं का प्रावधान नहीं है। उक्त स्थिति में विभागीय पत्रांक– 798, दिनांक– 07.02.2017 द्वारा मुख्यमंत्री नगर विकास योजनान्तर्गत नागरिक सुविधा मद की अवशेष राशि चालान द्वारा कोषागार में जमा करते हुए उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश सभी जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला शहरी विकास अभिकरण को दिया गया।

5. माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक– 05.04.2017 को आयोजित नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के अन्तर्गत जिन योजनाओं के लिए राशि का पूर्ण आवंटन उपलब्ध है एवं विधिवत् स्वीकृति दी जा चुकी है, उनकी सूची तैयार करते हुए वैसे कार्यों को पूर्ण कराया जा सकता है, जिसके लिए योजना समाप्त होने के समय राशि सरकार से पूर्ण आवंटित थी। पूर्व में जिन योजनाओं की स्वीकृति नहीं दी गई है, उन्हें मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के अन्तर्गत नहीं लिया जायेगा।

6. उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक– 4969, दिनांक– 27.07.2017 द्वारा यह निदेश दिया गया कि मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के समाप्त होने के समय नागरिक सुविधा मद में उपलब्ध राशि के समतुल्य राशि तक की विधिवत स्वीकृत योजनाओं का ही कार्यान्वयन प्राथमिकता सूची के अनुरूप कराया जाय तथा जिन जिलों में विभागीय निदेश के आलोक में इस मद की राशि कोषागार मे जमा करा दिया गया है, उन जिलों मे विधिवत् स्वीकृत योजनाओ के कार्यान्वयन हेतु राशि की आवश्यकता होने की स्थिति मे अधियाचना प्राप्त होने पर कोषागार में जमा की गयी राशि के समतुल्य राशि तक विभाग से आवंटित की जायेगी।

7. जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला शहरी विकास अभिकरण, दरभंगा के पत्रांक– 85, दिनांक– 21.02.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि मुख्यमंत्री नगर विकास योजनान्तर्गत कुल ₹628.70375 लाख चालान के माध्यम से कोषागार में जमा करायी गई, जिसमें से ₹292.13523 लाख नागरिक सुविधा मद की राशि है। विभागीय पत्रांक– 4969, दिनांक– 27.07.2017 के निदेश के आलोक में डुडा द्वारा पूर्व से कार्यान्वित नागरिक सुविधा की योजनाओं के पश्चात् जिला स्तरीय संचालन समिति द्वारा नागरिक सुविधा मद में स्वीकृत 8 योजनाओं की प्राथमिकता के अनुसार नाम एवं प्राक्कलित राशि की विवरणी उपलब्ध कराते हुए योजना के कार्यान्वयन हेतु ₹171.89029 लाख आवंटित करने का अनुरोध किया गया।

8. जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला शहरी विकास अभिकरण, दरभंगा के पत्रांक– 85, दिनांक– 21.02.2018 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 में मुख्यमंत्री नगर विकास योजनान्तर्गत नागरिक सुविधा मद की निम्नलिखित 08 योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ₹171.89029 लाख (एक करोड़ एकहत्तर लाख नवासी हजार उनतीस रू०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति निम्नवत दी जाती है :–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	जिला का नाम	योजना का नाम	प्राक्कलित / प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	स्वीकृत राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	दरभंगा	वार्ड नं०– 5 मोहल्ला रूहेल्लागंज स्थित सर्वेश्वरनाथ मंदिर पोखरा का सौन्दर्यीकरण।	18.55100	18.55100
2		वार्ड नं०– 12 स्थित हराही पोखर में जलक्रीड़ा केन्द्र सह सामुदायिक भवन निर्माण।	20.33300	20.33300
3		मोहल्ला गाँधी चौक में राणी सती मंदर के समीप बागमती नदी में घाट का निर्माण।	24.72800	24.72800
4		शिशु उद्यान लहेरियासराय में लोईठिग एवं बच्चों के खेल कूद हेतु सामाग्री।	12.40400	12.40400
5		मोहल्ला भगवानदास स्थित लाल पोखर का सौन्दर्यीकरण।	16.58319	16.58319
6		इण्डोर स्टेडियम के बाहरी परिसर में नाला निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण।	23.43800	23.43800
7		मोहल्ला रहमगंज में मतरंजन पोखर का सौन्दर्यीकरण।	7.10500	7.10500
8		पोलो मैदान के सामने उत्तरी भाग में पार्किंग स्थल का निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण।	48.74800	48.74800
		कुल योग	171.89028	171.89028

अर्थात कुल स्वीकृत राशि ₹171.89029 लाख (एक करोड़ एकहत्तर लाख नवासी हजार उनतीस रू०) मात्र।

इसके लिए आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

9. उक्त स्वीकृत राशि ₹171.89029 लाख (एक करोड़ एकहत्तर लाख नवासी हजार उनतीस रू०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला शहरी विकास अभिकरण, दरभंगा होंगे**, जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक– 17.04.98 एवं पत्रांक– 428, दिनांक– 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में **A.C. विपत्र पर नही की जाएगी।**

10. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार सहित के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी के बाद T.V. नं० एवं तिथि

सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जाएगा। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496/वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।

11. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपायोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

12. राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

13. स्वीकृत कुल राशि ₹171.89029 लाख (एक करोड़ एकहत्तर लाख नवासी हजार उनतीस रू०) मात्र की निकासी मांग संख्या–48 मुख्य शीर्ष 2217–शहरी विकास–उप मुख्य शीर्ष 01– राज्य की राजधानी का विकास– लघुशीर्ष– 191–नगर निगम को सहायता– उपशीर्ष 0116–नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें विपत्र कोड **48-2217011910116** विषय शीर्ष 0116.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय व्ययक में उपबंधित राशि से की जाएगी।

14. योजनाओं का कार्यान्वयन विभागीय संकल्प संख्या– 2375, दिनांक–12.05.2008, विभागीय संकल्प सं०– 5158, दिनांक– 31.08.2010, विभागीय संकल्प सं०–2157, दिनांक– 05.09.2013 एवं विभागीय संकल्प सं०– 3576, दिनांक– 13.07.2015 के आलोक में किया जायेगा तथा योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन विभाग/विभागीय एम०आई०एस० सेल को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

15. **सभी योजनाओं का कार्यान्वयन ई0टेण्डरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।**

16. स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजनाओं को मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के मार्गनिर्देशों के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित कराई जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चयनित योजनओं का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजनाओं के तहत कार्यान्वित की जा रही योजनाओं से किसी भी परिस्थिति में न हो।

17. सभी योजनाओं हेतु कार्यस्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित किया जाएगा जिसमें योजना का नाम, राशि तथा अन्य सूचानाएँ अंकित होंगी।

18. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

19. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०– 2ब0/मु०मं०–08–04/2015 के पृष्ठ सं०– ......80....../टि० पर दिनांक– ...26.03.2018...... को प्राप्त है तथा सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन संचिका के पृष्ठ सं०–......80......../टि० पर दिनांक– ...26.03.2018... को प्राप्त है।

20. योजना का कार्यान्वयन विभाग के पत्र सं०– 3460, दिनांक– 21.06.2011 के निदेश के आलोक में जिला स्तर पर गठित शहरी अभियंत्रण कोषांग (जिला शहरी विकास अभिकरण) के माध्यम से ही कराया जाएगा।

21. इसकी सूचना प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल/जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला शहरी विकास अभिकरण, दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, दरभंगा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

26.3.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब0/मु०मं०–08–04/2015 156 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–26/3/18

प्रतिलिपिः– प्रमण्डलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल/जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला शहरी विकास अभिकरण, दरभंगा/मुख्य अभियंता, बुडा/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, दरभंगा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय एम०आई०एस० सेल, इन्दिरा भवन, बेली रोड, पटना को अनुश्रवण हेतु/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–2, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक, को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.3.18

सरकार के विशेष सचिव।